संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अ.प्रशा/2016/1461

भोपाल, दिनांक 5/8/2016

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय सयुक्त संचालक,
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः– चिकित्सालयों में चादर की आवश्यकता का आंकलन।

संदर्भः– संचालनालय का पत्र क्र/अ.प्र/सेल–4/2015/91 दिनांक 14/01/2015

––00––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें चिकित्सालयों में सतत् गुणवत्ता पूर्ण व उच्च श्रेणी की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिये गये है। पत्र से चिकित्सालयों में रोगियों को कंबल व चादरों के संबध में भी निर्देश हैं। चिकित्सालयों में आवश्यक सामग्री (लिनिन) में से एक, रोगियों हेतु चादर होता है। किसी भी एक वर्ष में आवश्यकता का आंकलन निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी के आधार पर किया जा सकता है।

1. चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या।
2. चिकित्सालयों में वर्तमान में उपलब्ध चादरों की संख्या।
3. विगत 1–2 वर्षों में क्रय किये गये वर्षवार चादरों की संख्या।
4. चिकित्सालयों की बेड ऑक्यूपेन्सी।
5. चादर की औसत लाईफ– 6 माह से 1 वर्ष।
6. चादर की वॉश साईकल– 2 से 4 दिन
7. रोगी को उपलब्ध कराये गये चादर बदलने की अवधि व्यवस्था–
   - बिछाने वाली चादर– प्रतिदिन बदलनी चाहिए।
   - ओढ़ने वाली चादर– एक दिन छोड़कर, सप्ताह में 03 दिन बाद बदली जाये।
   - नये मरीज़ की भर्ती पर– दोनो ही बिछाने वाली तथा ओढने वाली चादर बदली जाये।
   - रक्त, उल्टी आदि से चादर गंदी होने पर, तुरंत बदली जाये।

सामान्तः रोगी की औसत भर्ती अवधि 03 दिवस, चिकित्सालयों की बेड ऑक्यूपेन्सी 60 प्रतिशत, चादर की लाईफ साईकल औसत 6 माह से 1 वर्ष के आधार पर प्रति बेड 7 चादर के मान से निम्नलिखित गणितीय सूत्र से एक वर्ष में चादरों की आवश्यकता की गणना की जा सकती है।

$$\frac{\text{शैय्याओं की संख्या} \times 0.6 \text{ (बेड ऑक्यूपेन्सी प्रति बेड)} \times 7 \text{(चादर प्रति शैय्या)}}{0.75 \text{ (औसत चादर की लाईफ)}}$$

चिकित्सालयों की वास्तविक बेड ऑक्यूपेन्सी के आधार पर व पूर्व से उपलब्ध चादर की संख्या को देखते हुए ही उक्त गणितीय सूत्र के आधार पर किये गये आंकलन से चिकित्सालयों में आवश्यक चादरों की पूर्ति की जाये। प्रति वर्ष उपरोक्तानुसार पूर्ति किये जाने पर आगामी वर्षों में इस व्यवस्था से चादर की आवश्यकता स्ट्रीमलाईनहो सकेगी। लिनिन क्रय के नियमों व बजट मद के संबंध मे अपर संचालक, उपार्जन का पत्र क्र/औ.प्रका/2016/341 दिनांक 25/07/2016 रिफर करें।

संचालक, (अ.प्र)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र

पृ.कमांक, आयोग /2016/ 1462

भोपाल ,दिनांक / /2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।

//

संचालक, (अ.प्र)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प